छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 50 प्रकरण क्रमांक – **SM-PRO-2023-01916**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध श्री के.के. गुप्ता, पता–एम.एफ.ए. जी. शॉप नं.–510, पंचम तल, लाल गंगा कॉम्पलेक्स, पचपेड़ी नाका, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
10/01/2024	– प्रकरण प्रस्तुत । – प्राधिकरण द्वारा सुनवाई के दौरान दिनाँक 12.07.2023 को आदेश पारित करते हुये अनावेदक को निम्नानुसार आदेशित किया गया :– – अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के अवैध होने की वजह से प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में क्रय–विक्रय को प्रतिबंधित किया जाता है। साथ ही अनावेदक को अधिनियम की धारा–59 अंतर्गत रूपये 1,00,000/– की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अनावेदक, एक माह के भीतर शास्ति की राशि निर्धारित शासकीय मद में जमा करने सुनिश्चित करे। अन्यथा अनावेदक के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जावेगी। साथ ही अनावेदक एक माह के भीतर प्रोजेक्ट का पंजीयन की कार्यवाही करे। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनाँक 12.07.2023 का अनुपालन किया जा चुका है। अनावेदकगण द्वारा शास्ति की राशि रूपये 1,00,000/– चालान के माध्यम से दिनाँक 22.08.2023 को निर्धारित शासकीय मद में जमा किया गया है। प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	